भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2707

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के लिए धनराशि

2707. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2024 के दौरान पीएम किसान योजना के अंतर्गत राज्य-वार धनराशि वितरण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) पहचाने गए अपात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उनसे कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) वर्ष 2024 में उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है तथा राज्य-वार अस्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) सभी लाभार्थियों के लिए आधार-आधारित सत्यापन लागू करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आय वर्ग से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से अब तक रुपए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है।

इस स्कीम का लाभ उन पात्र किसानों को दिया जाता है जिनका आधार डेमो प्रमाणीकरण सफल होता है और लाभ को आधार आधारित भुगतान के माध्यम से जारी किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में जारी किए गए लाभों का किस्तवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

इस योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के लिए खुला है। किसान पीएम-किसान पोर्टल, पीएम-किसान ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। जिन मामलों में आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़/विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, उन मामलों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदन के बाद, विभाग द्वारा लाभ की प्रक्रिया तुरंत शुरू की दी जाती है और अगली किस्त में राशि जारी कर दी जाती है।

योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, भूमि सीडिंग के साथ-साथ आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों का लाभ रोक दिया गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें स्कीम का लाभ उनकी देय किस्तों (यदि कोई हो) के साथ प्राप्त होता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकरदाता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को अंतरित किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

अनुबंध

दिनांक 16.07.2025 तक

वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों का राज्यवार, किस्तवार विवरण,

#	राज्य	17वीं किस्त		18वीं किस्त	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12,546	2.80	12,832	2.80
2	आंध्र प्रदेश	41,40,576	875.56	41,22,500	836.36
3	अरुणाचल प्रदेश	67,613	18.55	90,473	25.60
4	असम	18,14,353	426.08	18,87,589	403.53
5	बिहार	76,55,855	1,598.95	75,81,033	1,544.52
6	चंडीगढ़	349	0.08	15	0.00
7	छतीसगढ	24,31,803	577.36	25,07,764	570.00
8	दिल्ली	10,808	2.51	10,829	2.26
9	गोवा	6,322	1.36	6,333	1.33
10	गुजरात	48,45,936	1,084.42	49,12,382	1,038.73
11	हरियाणा	15,87,993	362.17	15,99,904	342.29
12	हिमाचल प्रदेश	8,06,658	190.49	8,17,551	171.90
13	जम्मू और कश्मीर	8,53,719	192.53	8,58,660	182.65
14	झारखंड	18,42,854	633.39	19,98,474	546.37
15	कर्नाटक	43,04,824	958.27	43,48,126	941.85
16	केरल	27,57,444	637.26	28,15,241	597.95
17	लद्दाख	18,192	4.05	18,208	3.77
18	लक्षद्वीप	1,972	0.54	2,198	0.45
19	मध्य प्रदेश	80,80,414	1,679.85	81,37,388	1,682.12
20	महाराष्ट्र	91,43,117	1,940.12	91,43,729	1,888.58
21	मणिपुर	79,198	28.01	85,936	42.79
22	मेघालय	1,30,649	49.02	1,50,413	33.91
23	मिजोरम	99,140	36.82	1,10,998	31.69
24	नागालैंड	1,62,277	49.02	1,71,922	42.84
25	ओडिशा	30,58,332	737.89	31,50,684	689.02
26	पुदुचेरी	8,182	1.73	8,033	1.64
27	पंजाब	8,40,274	290.56	9,26,150	272.82
28	राजस्थान	67,25,793	1,525.71	70,32,147	1,545.17
29	सिक्किम	24,364	6.40	28,146	6.75
30	तमिलनाडु	21,83,435	460.03	21,94,666	455.94
31	तेलंगाना	30,98,123	654.69	30,77,516	627.51
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	11,567	2.56	11,587	2.44
33	त्रिपुरा	2,25,528	55.50	2,29,366	47.67
34	उत्तर प्रदेश	2,14,86,203	4,830.47	2,25,79,663	4,982.65
35	उत्तराखंड	7,86,763	177.97	7,97,001	168.78
36	पश्चिम बंगाल	44,98,404	964.42	45,03,171	931.55
	कुल योग	**9,38,01,580**	**21,057.13**	**9,59,28,628**	**20,666.20**

#	राज्य	19वीं किस्त	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,353	3.18
2	आंध्र प्रदेश	41,59,954	888.05
3	अरुणाचल प्रदेश	94,953	22.63
4	असम	21,23,678	499.03
5	बिहार	76,13,623	1,609.42
6	चंडीगढ़	2	0.00
7	छत्तीसगढ	26,14,078	622.65
8	दिल्ली	11,171	2.59
9	गोवा	6,387	1.35
10	गुजरात	52,01,076	1,181.19
11	हरियाणा	16,53,741	372.25
12	हिमाचल प्रदेश	8,40,337	193.90
13	जम्मू और कश्मीर	8,86,357	207.99
14	झारखंड	22,58,127	833.17
15	कर्नाटक	44,11,964	942.17
16	केरल	28,97,701	653.62
17	लद्दाख	18,472	3.93
18	लक्षद्वीप	2,306	0.50
19	मध्य प्रदेश	85,05,361	1,817.28
20	महाराष्ट्र	93,28,286	2,013.51
21	मणिपुर	1,80,263	146.88
22	मेघालय	1,91,642	46.75
23	मिजोरम	1,27,436	48.63
24	नागालैंड	1,87,908	52.22
25	ओडिशा	35,14,607	970.37
26	पुदुचेरी	8,044	1.69
27	पंजाब	10,58,688	373.04
28	राजस्थान	76,19,638	1,804.53
29	सिक्किम	31,612	7.85
30	तमिलनाडु	22,58,779	501.87
31	तेलंगाना	31,13,972	655.89
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,806	2.54
33	त्रिपुरा	2,38,435	52.14
34	उत्तर प्रदेश	2,40,64,673	5,781.62
35	उत्तराखंड	8,27,797	185.06
36	पश्चिम बंगाल	46,09,388	1,001.36
	कुल योग	**10,06,85,615**	**23,500.83**

*****